

अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
आर0एम0ए0 वाद संख्या:- 65/2011-12
श्रीमती मालती देवी-बनाम-रमेश सिंह वगैरह

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-श्रीमती मालती देवी, पति-राम जतन सिंह, सा0+थाना-कोटालपोखर, अंचल-बरहरवा, जिला-साहेबगंज ने आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया है कि मौजा-कोटालपोखर बाजार, तौजी नं0-111, दाग नं0-982/1111, रकवा-00-05-16 धूर जमीन निबंधित केवाला सं0-5155, दिनांक-04.11.1978 द्वारा खरीदा गया है जिसमें विपक्षी श्री रमेश सिंह वगैरह द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अंचल अधिकारी, बरहरवा ने पत्रांक-06/रा0, दिनांक-09.01.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा-कोटालपोखर थाना नं0-232/233, जमाबंदी नं0-98/33, दाग नं0-982/1111, रकवा-00-05-16 धूर जमीन से संबंधित मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित है। अधोहरताद्वारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि बिगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। <i>अनुपस्थित एवं हजेरत।</i> <i>01/4/23</i> <i>अपर उपायुक्त, साहेबगंज।</i>	